संख्या–सम्ब0 339 / सत्तर–6–2013–2(244) / 2012

प्रेषक,

डा0 रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 06 सितम्बर, 2013

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–कु0स0–सम्बद्धता / 06 / 817 / 2013, दिनांक 24.07.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन एम0एन0बी0 मेमोरियल महिला महाविद्यालय, नसीरपुर मठ, कोटवा नारायनपुर, बलिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

(i) प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनुमोदित शिक्षकों को प्रबन्धतंत्र द्वारा नियमानुसार नियुक्ति पत्र निर्गत कर उन्हें कार्यभार ग्रहण कराकर उन्हीं से शिक्षण कार्य कराया जायेगा। इसी के साथ प्रबन्धतंत्र एवं शिक्षकों के बीच अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।

(iii) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है / नहीं किया गया है तो, सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा–37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों की पूर्ति कर ली गयी है, अन्यथा की दशा में आगामी शिक्षण सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(v) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा–37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न हैः–

37(6):– कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।